इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 मार्च 2013—चैत्र 8, शक 1935

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2013

अधि. क्र. 48-क्र. एफ-6-7-2009-अठारह-3.—इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 8 अक्टूबर 2010 [मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 1 दिसम्बर 2010 को प्रकाशित अधिसूचना] के द्वारा मनोनीत श्री चंद्रमौली मिश्र शास्त्री का निधन हो जाने के कारण राज्य शासन एतद्द्वारा भेलसा रामलीला मेला विधान (क्रमांक 21) सन् 1956 की धारा 2 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री चंद्र किशोर मिश्र शास्त्री (भेलसा रामलीला मेला समिति द्वारा अनुशंसित) को समिति का सदस्य नियुक्त करता है.

(2) इसी प्रकार विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 अक्टूबर, 2010 [मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 1 दिसम्बर, 2010 को प्रकाशित अधिसूचना] के द्वारा मनोनीत श्री नरेन्द्र कुमार सोनी, को भेलसा रामलीला मेला समिति, विदिशा के लिए समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था. श्री नरेन्द्र कुमार सोनी के विरुद्ध आर्थिक अनियमितताओं की शिकायत पाए जाने के कारण उनकी सदस्यता (नामांकन) निरस्त करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा भेलसा रामलीला मेला विधान (क्रमांक 21) सन् 1956 की धारा 2 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री ज्ञान सिंह जाट पुत्र श्री शोभाराम, निवासी चौपड़ा तहसील एवं जिला विदिशा को भेलसा रामलीला मेला समिति का सदस्य नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. वर्मा, अवर सचिव.

कार्यालय, जिलाध्यक्ष, जिला उज्जैन

संशोधित अधिसूचना

उज्जैन, दिनांक 11 मार्च 2013

क्र. 787-एन.पी.आर.-2012-13.—राज्य शासन के गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्र. एफ-10-1-2012-दो-ए(3), दिनांक 16 फरवरी 2012 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्रकाशित) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 और सहपठित नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 5, 16 एवं 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार करने, उसमें संशोधन करने और "राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य" का पर्यवेक्षण करने के लिये अनुसूची में उल्लेखित कॉलम नं. (4) में एन.पी.आर. पदनाम एवं कॉलम नं. (5) में उल्लेखित उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार नामित किया जाता है :—

क्र.	प्रशासनिक इकाई	पदनाम	नियुक्त किये जाने वाला पदनाम	प्रशासनिक क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	संबंधित वार्ड	राजस्व निरीक्षक/ स्वास्थ्य निरीक्षक/ सफाई निरीक्षक/ सहायक राजस्व निरीक्षक/ कर संग्राहक.	स्थानीय रजिस्ट्रार	संबंधित नगरों (नगर निगम/नगरपालिका/ छावनी बोर्ड/नगर परिषद्) के अन्तर्गत संबंधित वार्ड का सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र.

बी. एम. शर्मा, कलेक्टर.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.